भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3709

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की प्रमुख मांगें

3709. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदाय के लिए संवर्धित कल्याणकारी उपायों, शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों, आरक्षण लाभों के संरक्षण और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की मांगों के संबंध में महाराष्ट्र के विभिन्न ओबीसी संगठनों और जन प्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों, कौशल विकास, छात्रवृत्तियों, छात्रावासों और आजीविका सहायता को सुदृढ़ करने सहित अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की प्रमुख मांगों का समाधान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) ऐसे उपायों को कार्यान्वित करने के लिए यदि कोई समयावधि तय की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): महाराष्ट्र सहित सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने अभ्यावेदन और प्रस्ताव भेजते हैं, जिनकी जांच और प्रोसेसिंग योजना के दिशा-निर्देशों, मौजूदा नियमों और बजट आवंटन के अनुसार की जाती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ओबीसी, ईबीसी, और डीएनटी छात्रों के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इनमें निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:

i. ओबीसी, ईबीसी, और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति,

ii. ओबीसी, ईबीसी, और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति,

iii. ओबीसी, ईबीसी, और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लॉस शिक्षा,

iv. ओबीसी, ईबीसी, और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लॉस शिक्षा,

v. ओबीसी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण,

vi अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश में पढ़ाई हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना,

vii. ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप।

(ग) और (घ): इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से आकांक्षी परिवारों के छात्रों का आर्थिक बोझ कम करना और उन्हें उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने में सहायता करना है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में किसी जाति या समुदाय को शामिल करने या उससे हटाने का कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 342क के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इन योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन, तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके किया जाता है।
